

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 6987

दिनांक: 11.09.2020

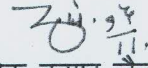
विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020-निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन में संशोधन के क्रम में।

आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देता है।

मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण शीर्षक के खण्ड में उपखण्ड संख्या 5 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जायेगा; अर्थात:-

“6. कन्टेनमेंट जोन में निवास कर रहे कार्मिकों को तब तक निर्वाचन कार्य में नियोजित नहीं किया जाए जब तक उनके निवास का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन से मुक्त नहीं हो जाए।”

आज्ञा से,

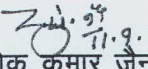

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 6988

दिनांक: 11.09.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव